

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

एफ.11(10)2015/जॉच/प्रमुवसं/ 1053-68

दिनांक:- 29-4-16

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त, राज0 जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन) राज0 जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त, जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सिल्वा) जयपुर
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
राजस्थान, जयपुर।
वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
वन संरक्षक, एफ.पी.आर
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का।
एनालिस्ट कम उप निदेशक(आई.टी) वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
उप वन संरक्षक, करौली/भरतपुर/सिल्वा, जयपुर
उप वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना रणथम्भौर।
उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर।


विषय:-प्रशासनिक विभाग को राज्य स्तर पर प्रेषित प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ:-शासन उप सचिव, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8(116)वन/2014 दिनांक 11.4.2016
एवं प.8(113)वन/2008 दिनांक 28.4.2016

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला कलेक्टर/अन्य विधि से राज्य स्तर पर प्रेषित किये गये प्रकरणों की सूची जरिये ई-मेल आपको दिनांक 28.4.2016 को प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी सम्पर्क पोर्टल पर Login कर ऐसे समस्त प्रकरणों जो आपके Inbox में है, का निस्तारण किया जाना है। उक्त प्रकरणों के बारे में 4 से 6 मई तक होने वाली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा इन समस्त प्रकरणों का निस्तारण कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से पूर्व किए जाने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये गये है। अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभियान के रूप में कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरणों में से आपके स्तर पर लम्बित प्रकरणों का 2 मई 2016 से पूर्व निस्तारण कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करे। साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर 60 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित अन्य प्रकरणों का निस्तारण भी इस अभियान के दौरान कराने का कष्ट करावे।

भवदीय,



(एम.एल.मीना)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

एफ.11(10)2015/जॉच/प्रमुवसं/ 1069-1219

दिनांक:- 29-4-2016

1. प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को दी जाकर निवेदन है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभियान के तौर पर कार्यवाही करते हुए सम्पर्क पोर्टल पर 60 दिवस से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से पूर्व कर इस कार्यालय को सूचित करे।

2. कंप्यूटर शाखा ईन्चार्ज को विनांगीय
साइट पर अपलोड करने हेतु।

(एम.एल.मीना)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

कमांक प.8(113)वन/2008

जयपुर, दिनांक : 28.04.2016


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ)
राजस्थान जयपुर।

विषय:- राज्य स्तरीय एडोप्टर्स नियुक्त करने बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों/परिवेदनाओं के निस्तारण के दौरान जिला कलेक्टरों द्वारा प्रेषित प्रशासनिक स्वीकृति/बजट आवंटन आदि के प्रकरणों के निस्तारण हेतु श्री एम.एल. मीना, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर को एडोप्टर नियुक्त किया जाता है। श्री मीणा जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक विभाग के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए संबंधित जिले की शिकायतों/परिवेदनों का निस्तारण करवाने में सहयोग करेंगे। साथ ही अब तक राज्य स्तर पर विभाग से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण अभियान चलाकर 4 से 6 मई, 2016 को आयोजित होने वाली कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कॉन्फेस से पूर्व कर दिनांक 03.05.2016 तक प्रगति से राज्य सरकार को अवगत करायेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग की अशा.टीप कमांक प.16(1)प्रसु/गुप-1/2014/एसए दिनांक 25.04.2016, 26.11.2014 एवं 22.10.2014 की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(योगेन्द्र कुमार देक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर को संदर्भित पत्र की छाया प्रति सहित।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर।

विशेषाधिकारी, वन



DCA = (E)

All concerned
officers may
be ~~also~~ requested
to dispose off all the
cases. Before collectors conference.

AOS (E)

29/4/16